

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 1154/2024

अनवान : -

1. हेमलता पत्नी छोटूराम जाति ब्राहमण निवासी गुडिया हाल निवासी नोहर तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. मनिष पुत्र छोटूराम जाति ब्राहमण निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
2. राजेश शर्मा पुत्र छोटूराम जाति ब्राहमण निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
3. रेणू कुमारी पुत्री छोटूराम जाति ब्राहमण निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
4. भागीरथ पुत्र हेतराम जाति ब्राहमण निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
5. रमेश कुमार पुत्र हेतराम जाति ब्राहमण निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
6. शान्ति पत्नी वेद प्रकाश जाति ब्राहमण निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 14/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए तहसील नोहर के खाता सं० 109/53 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 व मृतक छोटूराम प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। छोटूराम का देहान्त हो चुका है। छोटूराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद

al

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण छोटराम पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में छोटराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादीया का पति है। छोटराम का स्वर्गवास हो चुका है। छोटराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को तर्क किया गया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीया काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए तहसील नोहर के खाता स0 109/53 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 व मृतक छोटराम प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में छोटराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादीया का पति है। छोटराम का स्वर्गवास हो चुका है। छोटराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीया काबिज है, वादीया के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नहीं है। वादीया द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा छोटराम के अन्य कोई भी

अ
उपरजुद्ध अधिकारी
नोहर

वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए तहसील नोहर के खाता स0 109/53 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में मृतक छोटूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 1154/2024

अनवान : -

1. हेमलता पत्नी छोटूराम जाति ब्राहमण निवासी गुडिया हाल निवासी नोहर तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. मनिष पुत्र छोटूराम जाति ब्राहमण निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
2. राजेश शर्मा पुत्र छोटूराम जाति ब्राहमण निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
3. रेणू कुमारी पुत्री छोटूराम जाति ब्राहमण निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
4. भागीरथ पुत्र हेतराम जाति ब्राहमण निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
5. रमेश कुमार पुत्र हेतराम जाति ब्राहमण निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
6. शान्ति पत्नी वेद प्रकाश जाति ब्राहमण निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1154 सन 2024 निर्णय दिनांक 14/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए तहसील नोहर के खाता स0 109/53 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में मृतक छोटूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर